

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

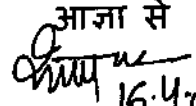
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ९७६ /2020

दिनांक :/६.०४.२०२०

श्री निलेश सिंह चौधरी (RJ0790), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 03.03.2020 से 07.03.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 11.03.2020 राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर/अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

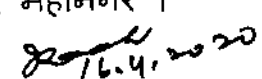
आज्ञा से

16.4.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/73/2013/ 2066

दिनांक :/६.०४.२०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 1922 दिनांक 12.03.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री निलेश सिंह चौधरी (RJ0790), अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर ।
4. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर ।
5. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
6. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।


16.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार